

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020—माघ 3, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2020

क्र. एफ 10-1-2020-बाईस-पं.-1.—राज्य सरकार एतद्वारा यह स्पष्ट करती है कि मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 के नियम 7 के अंतर्गत अनुशासन तथा नियंत्रण बनाये रखने के लिए यदि आवश्यक हो, तो मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के अधीन निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है, और जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित करने हेतु सक्षम है.

यह स्पष्टीकरण मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 के लागू होने की दिनांक से प्रवर्तनीय होगा.

No. F. 10-1-2020-XXII-P-1.—The State Government hereby makes the clarification that if it is necessary for maintaining discipline and control under rule 7 of the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011. The Action of suspension under the Madhya Pradesh Panchayat Service (Discipline and Appeal) Rules, 1999 may be taken and Chief Executive Officer of Zila Panchayat is competent to suspend the Secretary of the Gram Panchayat.

This explanation shall be applicable from the date of enforcement of the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.